

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

19 दिसम्बर 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन “निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2014-15 तक की राजस्व हिस्सेदारी” आज संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के भाग 16 में यह अनिवार्य किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक स्वयं को संतुष्ट करें कि भारत सरकार ने अपनी पूर्ण व सही हिस्सेदारी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त दिनांक 17 अप्रैल 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार दूरसंचार द्वारा नियामक प्राधिकरण के नियम 5 (ii), सेवा प्रदाताओं (लेखा बही तथा अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण) नियम 2002 में सेवा प्रदाताओं द्वारा संधारित समस्त लेखा अभिलेखों तथा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु समर्थकारी प्रावधान निहित है भारत के सी ए जी द्वारा सकल राजस्व (जी आर) में इसे वहन किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के भाग 16 में यह अनिवार्य किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक स्वयं को संतुष्ट करें कि भारत सरकार ने अपनी पूर्ण व सही हिस्सेदारी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त दिनांक 17 अप्रैल 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार दूरसंचार द्वारा नियामक प्राधिकरण के नियम 5 (ii), सेवा प्रदाताओं (लेखा बही तथा अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण) नियम 2002 में सेवा प्रदाताओं द्वारा संधारित समस्त लेखा अभिलेखों तथा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु समर्थकारी प्रावधान निहित है भारत के सी ए जी द्वारा सकल राजस्व (जी आर) में इसे वहन किया गया है।

नई दूरसंचार नीति (एन टी पी-99) जो अप्रैल 1999 में लागू हुई थी, ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में आय वितरण मॉडल प्रस्तुत किया। इस प्रणाली के तहत दूरसंचार लाइसेंसधारियों को अपने समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) का प्रतिशत वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एल एफ) के रूप में सरकार के साथ साझा करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटरों को उन्हें आबंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिये स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज (एस यू सी) का भुगतान करने की आवश्यकता थी। दूरसंचार विभाग और सेवा प्रदाताओं के बीच लाइसेंस समझौतों ने लाइसेंसधारी कम्पनी के जी आर के घटकों को परिभाषित किया और लाइसेंस समझौतों में कुछ कटौती की अनुमति के बाद ए जी आर की गणना की गई।

वर्तमान रिपोर्ट में पांच ऑपरेटरों के राजस्व के हिस्से के लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं, उदहरार्णार्थ मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (2010-11 से

2014-15 की अवधि के लिये) मैसर्स क्वाइन्ट टेलिवेन्ट्स लिमिटेड (2006-07 से 2014-15 की अवधि के लिए), मैसर्स विडियोकोन दूरसंचार लिमिटेड (2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिये), टेलिनोर समूह (2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिये) और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिये)।

लेखापरीक्षा ने लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन नहीं किया, जिसके कारण सरकार को राजस्व के हिस्से का अल्प भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है:

I Hkh ih ,l ih }kjk ¼jyk; d ft; ks dks NkMdj½ vius forj dks@Mhyjks@, t¼ks@Y¼pkbft; ka dks Hkxrkufd; s x; s deh ku@N¼ dh jkf k ds dkj.k ¼th vkj¼@, th vkj de crk; s x; s

पी एस पी अपने प्रीपेड उत्पादों की बिक्री एवं ग्राहकों को लुभाने हेतु वितरकों/डीलरों/एजेंटों/फ्रन्चाइजियों को नियुक्त करते हैं। इन सेवाओं के बदले में, पी एस पी उन्हें कमीशन/छूट आदि देते हैं। सभी पी एस पी जिनके खातों का सत्यापन किया गया था, उनके वितरकों/डीलरों/एजेंटों/फ्रन्चाइजियों को भुगतान किये गये कमीशन/छूट आदि की राशि से उनके जी आर/ए जी आर को कम कर दिया गया था।

चूंकि वितरकों/डीलरों/एजेंटों/फ्रन्चाइजियों को छूट आदि का भुगतान किया गया था जो कि व्यापार खर्च (विपणन खर्च) की प्रकृति का था, जी आर/ए जी आर में से राजस्व को कम करने का उद्देश्य लाइसेंस समझौते की शर्तों के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा द्वारा किये गये राजस्व से छूट/कमीशन आदि की राशि ₹ 3183.03 थी, जिसके परिणामस्वरूप एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 270.36 करोड़ व ₹ 117.99 करोड़ भुगतान हुआ।

(i) *jkxtQ 2.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 5.2.1*

I Hkh ih ,l ih }kjk Yh VkhV Vkke@Yh ,; j Vkke t¼ h ikks kuy ;kstukvka dh jkf k l s th vkj@, th vkj de crk; k tkuk

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पी एस पी विभिन्न अवसरों पर अपने प्रीपेड ग्राहकों को फ्री टॉक टाइम/फ्री एयर टाइम (एफ टी टी/एफ ए टी) जैसे विभिन्न ऑफर प्रदान करते हैं, जो मूल रूप से विभिन्न नामों की प्रचार योजनायें थीं। एकीकृत एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) समझौतों से यह बताया जाता है कि ऑपरेटरों को सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल और छूट/छूट का विवरण अलग से दर्शाया जाना चाहिये। यह पाया गया कि पी एस पी द्वारा प्रचारक प्रस्तावों को राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। चूंकि ऐसे प्रमोशनल ऑफर व्यवसायिक व्ययों की प्रकृति के थे, इसलिये यू ए एस एल के समझौतों के अनुसार राजस्व की गणना के लिए जी आर/ए जी आर को राजस्व के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये। लेखापरीक्षा ने इस लेखे में जी आर/ए जी आर में ₹ 3310.00 करोड़ कम बताये थे परिणामस्वरूप एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 277.83 करोड़ व ₹ 125.20 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(i) *jkxtQ 2.2.2, 3.2.2, 4.2.2, 5.2.2*

jkfex l okvka l s l EcfU/kr jktLo l s NW dks ?kVkdj th vkj@, th vkj de crk; s X; s

रोमिंग सेवाओं के लिये अन्य अन्तरराष्ट्रीय आपरेटरों के साथ पी एस पी में व्यवस्था है। यह देखा गया कि इन ऑपरेटरों के खातों में भुगतान तथा क्रेडिट की गई इन्टर ऑपरेटर ट्रेफिक (आई ओ टी) छूट/भुगतान तथा क्रेडिट को टेलीनोर समूह द्वारा रोमिंग राजस्व से डेबिट/घटाया गया। अन्य राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था होना दो ऑपरेटरों के बीच पारस्परिक समझौते का विषय है और रोमिंग के लिए सहमत शुल्क से अधिक छूट देना और दोनों ऑपरेटरों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए समग्र व्यवसायिक रणनीति का हिस्सा है। वैसे भी, ये छूट व्यय की प्रकृति के हैं, अतः लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, राजस्व से कटौती के लिए इन्हें अनुमति नहीं है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व हिस्सेदारी के उद्देश्य से जी आर/ए जी आर की गणना के लिये अवसंरचना हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व ₹ 3.27 करोड़ कम बताये गये थे तथा एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 0.32 करोड़ तथा ₹ 0.11 करोड़ कम भुगतान हुआ। (ifktQ 3.3)

vol jpkuk fgll nkjh l sjktLo dks ?kVkdj th vkj@, th vkj de crk; k tkuk

यू ए एस एल अनुबन्धों के अनुसार, व्यय से संबंधित किसी भी मद को घटाये बिना अवसंरचना हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व जी आर में शामिल होगा। पी एस पी की अन्य पी एस पी के साथ उनकी पैस्सिव अवसंरचना की हिस्सेदारी के लिये व्यवस्था है। लेखापरीक्षा ने पाया गया मैसर्स टाटा के मामले में, अवसंरचना हिस्सेदारी से प्राप्त राशि को राजस्व में पूर्ण नहीं लिया गया था, अपितु इसका कुछ अंश व्यय को क्रेडिट कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप राजस्व हिस्सेदारी के उद्देश्य से जी आर/ए जी आर की गणना के लिये अवसंरचना हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व ₹ 107.09 करोड़ कम बताये गये थे तथा एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 9.15 करोड़ तथा ₹ 3.85 करोड़ कम भुगतान हुआ। (ifktQ 2.2.4)

th vkj ea OkjDI ykHk ds de@xj l ekos ku ds dkj.k th vkj@, th vkj dk de crk; k tkuk

जी आर की परिभाषा के अनुसार, राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिये विविध राजस्व पर विचार किया जाना था तथा फोरेक्स लाभ विविध आय का घटक था। हमने देखा कि इन सभी पी एस पी ने फोरेक्स लाभ या तो पूरी तरह छोड़ दिया था या केवल आंशिक रूप से जी आर में शामिल किया गया था। सभी पी एस पी के जी आर में फोरेक्स लाभ छोड़ने की राशि ₹ 1484.17 करोड़ बनती थी जिससे एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 125.07 करोड़ तथा ₹ 15.91 करोड़ कम भुगतान हुआ। (ifktQ 2.2.5, 3.4, 4.3.2, 5.3.1, 6.6.1)

C; kt vk; dks l ekfo'V u djus ds dkj.k l Hkh ih ,l ih }kjk th vkj@, th vkj dk de crk; k tkuk

लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार, लाइसेंसधारी कम्पनी के ब्याज आय को देय राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिये जी आर में शामिल किया जाना चाहिये। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी पी एस पी ने जी आर/ए जी आर में ब्याज से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, पी एस पी द्वारा ₹ 687.59 करोड़ राजस्व कम बताया गया तथा फलस्वरूप एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 59.23 करोड़ तथा ₹ 23.78 करोड़ कम भुगतान हुआ।

(*ifktQ 2.3.2, 3.5, 4.3.1, 5.3.4*)

fuos k dh fcØh l s ykHk ds xj l ekos ku ds dkj.k VVvk }kj k th vkj@, th vkj de crk;k tkuk

लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार, निवेश से प्राप्त आय को राजस्व हिस्सेदारी की जी आर/ए जी आर की गणना हेतु शामिल किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स टाटा ने निवेशों से प्राप्त आय को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिये जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया था। जी आर/ए जी आर में निवेश से प्राप्त आय के गैर समावेशन की राशि ₹ 257.07 करोड़ बनती थी परिणामस्वरूप एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 21.52 करोड़ तथा ₹ 9.50 करोड़ कम भुगतान हुआ।

(*ifktQ 2.3.1*)

vpy ifj l EifRr; k dh fcØh l s fofo/k jktLo o ykHk ds xj l ekos ku ds dkj.k th vkj@, th vkj de crk;k tkuk

लाइसेंस अनुबन्धों के अनुसार, राजस्व को परिभाषित करते समय लाइसेंसधारी कम्पनी के जी आर व्यय आदि से संबंधित मद को घटाये बिना विविध राजस्व शामिल करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स टाटा, मैसर्स टेलीनोर और मैसर्स क्वाड्रान्ट ने अपनी जी आर की गणना में अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त ब्याज और विविध आय को शामिल नहीं किया था जिसके कारण जी आर कम बताये गये। कुल जी आर ₹ 165.39 करोड़ कम बताया गया परिणामस्वरूप एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 13.64 करोड़ व ₹ 5.60 करोड़ कम भुगतान हुआ।

(*ifktQ 2.3.3, 2.3.4, 3.6, 5.3.2, 5.3.5*)

cVVs [kkrs ea Mkys tkus okyh v kks'; __.k jkf k dks dVks'h ds : lk ea nkok djus l s , th vkj de crk;k x;k

लाइसेंस अनुबन्ध सेवा प्रदाताओं के ए जी आर निकालने के लिए जी आर से केवल तीन मदों की कटौती की अनुमति देता है। बट्टे खाते में डाले गये अशोध्‍य ऋणों को ए जी आर निकालने के लिये जी आर से कटौती का दावा मान्य नहीं था। तथापि, मैसर्स टाटा ए जी आर निकालने के लिये जी आर से बट्टे खाते में डाले गये अशोध्‍य ऋणों के कारण ₹ 1026.01 करोड़ की कटौती

